

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकंला जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रकरण संख्या - 51/2022

पीठासीन अधिकारी - राजकेश मीना (आर.ए.एस.)

## उनवान

- 1 ज्ञानचन्द पिता लादूलाल महाजन उम्र वयस्क निवासी अरवड तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
- 2 मूलचन्द पिता लादूलाल महाजन उम्र वयस्क निवासी अरवड तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
- 3 सुनिल कुमार पिता लादूलाल महाजन उम्र वयस्क निवासी अरवड तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा

----- ( प्रार्थी)

## बनाम

- 1 रंगलाल पिता हजारी बैरवा उम्र वयस्क निवासी अरवड तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
- 2 कोशलया पत्नि राजेन्द्र शर्मा उम्र वयस्क निवासी अरवड तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
- 3 भूमिधारी तहसीलदार फूलियाकलां जिला भीलवाडा

----- ( अप्रार्थीगण)

## उपस्थित-

प्रार्थी अधिवक्ता- श्री सुनील कुमार शर्मा

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढी आराजीयात

## निर्णय

दिनांक - 11.05.2023


प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय मे दिनांक 12.04.2022 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम बडला पटवार मण्डल अरवड भू.अ.नि. अरवड तहसील फूलियाकंला मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 151 के आ.न. 84 रकबा 1.26 हैक्टर, भूमि स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसीगण/सहखातेदारान हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता हैं। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनांक 12.04.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण नियत सुनवाई पर वास्ते अपना पक्ष रखने, हाजिर नही होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

## आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम बडला पटवार मण्डल अरवड भू.अ.नि. अरवड तहसील फूलियाकंला मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 151 के आ.न. 84 रकबा 1.26 हैक्टर, भूमि की पत्थरगढी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक अरवड को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पडौसियान को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावे। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकंला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.05.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजकेश मीना)

उपखण्ड अधिकारी,  
फूलियाकंला, जिला भीलवाडा